



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4618/2026

सुनील उर्फ सुनील कुमार

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता

: - विनय कुमार वर्मा, विमलेश यादव
विनय कुमार यादव

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- मौरावा, जिला - उन्नाव में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 103(1) और 238(क) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 597/2025 के विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.10.2025 को वर्तमान प्रार्थी सहित चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 201 (पुरानी धाराएं 302 और 201 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि सूचनाकर्ता के बेटे के साले ने सूचनाकर्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुत्र से 1,50,000/- रुपये का ऋण लिया था और बार-बार मांगने पर भी उसे वापस नहीं किया गया था। दिनांक 13.10.2025 को सूचनाकर्ता का पुत्र धन कमाकर करनाल से सीधे अपने ससुराल पहुंचा। दिनांक 20.10.2025 की रात, जब वह अपना धन वापस मांग रहा था, तब सभी नामजद अभियुक्तों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को बाग के पास फेंक दिया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मृतक का साला है (सूचनाकर्ता के बेटे का साला) और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियुक्तों के इकबालिया बयानों के आधार पर ही उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तों के इकबालिया बयान के अलावा पुलिस को विवेचना के दौरान कोई अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य या सामग्री नहीं मिली है और केवल उक्त इकबालिया बयानों के आधार पर ही प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

सह-अभियुक्त राम औतार और वर्तमान प्रार्थी के इकबालिया बयानों के अनुसार, वे मृतक को अस्पताल ले गए थे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और इसलिए, वे मृतक को बाग के पास छोड़ आए।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त इकबालिया बयानों के अलावा, प्रार्थी के विरुद्ध अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शा सके कि अपराध करने में प्रार्थी की प्रत्यक्ष संलिप्तता है।

उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् मृतक के ससुर, सास और पत्नी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, जिन पर अपराध करने की समान प्रकृति की भूमिका का आरोप है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 23.10.2025 से जेल में बंद है तथा वह यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा। अतः उनका निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और मामले में गहन विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है, इसलिए प्रार्थी किसी अनुतोष का हकदार नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उलब्ध सामग्री का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मृतक का साला है। प्रार्थी के विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्य केवल इकबालिया बयानों के आधार पर हैं। ससुर के विरुद्ध भी ऐसे ही समान साक्ष्य एकत्र किए गए थे, जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

इस न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया है कि वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का है और मृतक की पत्नी, सास, ससुर और साले के विरुद्ध सीधे आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 23.10.2025 से जेल में बंद है। इसके साथ ही समान स्थिति वाले अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने यह वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक-**सुनील उर्फ सुनील कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;

(2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और

(4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

25 जून, 2026

एकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।